

9 12
22

पतापत्ती पत्रा इती वकील पत्रकारण उपस्थित
 होकर मुताबिक विभाजन पुस्तक निष्पत्ती करके
 का निवेदन किया। किंतु वाद वादी मुताबिक
 विभाजन पुस्तक तदुक्तानुसार किया डिक्ली
 किया जाता है विभाजन पुस्तक निष्पत्ती व
 डिक्ली का साथ रहेगा डिक्ली मुताबिक है
 पतापत्ती प्रमाण सुमार होकर जम्मा 10 वर्ष
 की अवधि तक चलता है।

Sumit

उप खण्ड अधिकारी
 विडावा जिला सुन्सुनू (राज.)

